

एफ संख्याए स-
11012/01/2015-बीआई
भारत सरकार
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय

जैसलमेर हाउस
26 मान सिंग रोड,
नई दिल्ली -110011.
मई 8, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना -2016

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 1978 अंतिम बार मई 2000 में संशोधित की गई थी। योजना के प्रदर्शन के मूल्यांकन और हितधारियों के साथ परामर्श के बाद यह महसूस किया गया कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली के उन्मूलन के लिए यह योजना प्रभावी नहीं है और व्यापक लोक हित में इसमें सुधार की आवश्यकता है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा इसका एक मसौदा तैयार किया गया और सभी राज्य सरकारों, एनएचआरसी, भारत सरकार के विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों को परिचालित किया गया और जनता तथा अन्य संबद्ध नागरिकों से टिप्पणियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसे मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया गया। सामाजिक हिस्सेदारों सहित सभी क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों और इनपुट्स के आधार पर केंद्र सरकार ने संशोधित योजना को 17-05-2016 से अनुमोदन प्रदान किया। संशोधित योजना की प्रति यहां संलग्न की गई है।

2. संशोधित योजना अब केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में जानी जाएगी जिसमें पुनर्वास पैकेज के नगदी हिस्से में राज्य का हिस्सा नहीं होगा। समय की बदलती जरूरत के अनुसार छोटे मोटे संशोधनों के साथ भुतपूर्व योजना का गैर-नगदी घटक पहले की तरह जारी रहेगा।

3. मुझे राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उनके जिला न्यायाधीशों / कलेक्टर/ उप-प्रभागीय न्यायाधीशों के जरिये इस योजना के प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की सूचना देने के लिए निर्देशित किया गया है।

संलग्न : उक्त अनुसार

(जे एस सिध्दु)
भारत सरकार के उप सचिव

प्रमुख सचिव (सभी राज्य सरकार)
प्रशासक (सभी केंद्र शासित प्रशासन)
जिला न्यायाधीश/ कलेक्टर(समस्त)

प्रतिलिपि:

प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव

गृह मामलों, विधि तथा न्याय, एसजे एण्ड ई, डब्लू एण्ड सीडी, वित्त, विदेश मामले, भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना-2016

1. परिचय

1.1 भारत में बंधुआ मजदूर प्रणाली को नियोजक और कर्मचारी के बीच एक दीर्घकालिक संबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे आमतौर पर एक ऋण या सामाजिक दायित्व के जरिये मजबूत किया जाता है, और इसकी जड़ें भारत के सामाजिक-आर्थिक संस्कृति द्वारा निहित वर्ग / जाति संबंधों से जुड़ी हैं। भारत में बंधुआ मजदूर के अनुबंध शुद्धतः आर्थिक नहीं होते, कई क्षेत्रों में उन्हें एक प्रथा या बलप्रयोग द्वारा सशक्त किया जाता है। भारत का संविधान जिसे नागरिक स्वतंत्रताओं के अधिकार पत्र के रूप में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अनुच्छेद 23 के तहत मानव जाति का क्रय विक्रय, भीखमंगी और बंधुआ मजदूरी के समान रूपों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

1.2 भारत सरकार ने 30 नवंबर 1954 के आईएलओ अधिवेशन की पुष्टि की जिसमें इसकी पुष्टि की गई है कि "ऐसे सभी कार्य या सेवाएं जो किसी व्यक्ति से दण्ड या धमकी स्वरूप ली जाती हैं और जिसके लिए कथित व्यक्ति ने स्वयं को स्वेच्छा से प्रस्तुत नहीं किया है" को बंधुआ मजदूरी में परिभाषित किया जाएगा।

1.3 भारत में बंधुआ या बलात मजदूरी के पारंपरिक रूपों को अदियामार, बारामासिया, बसह्या, बेथू, भागेला, चेरुमार, गारो-गालू, हहाली, हरि, हरवाई, होल्या, जाना, जीठा, कामिया, खुदित-मुंदित, कुठिया, लखरी, म्मुंझी, मट, मुनिष प्रणाली, नित-मजूर, पालेरू, पडियाल, पन्नायिलाल, सागरी, संजी, संजावत, स्सेवक, सेवकिया, सेरी, वेत्ती के रूप में जाना जाता है। हालांकि, समय के साथ, विभिन्न नामों के साथ बंधक के नये आयाम उभर कर सामने आए हैं। यह प्रणाली महत् आर्थिक या श्रम संबंधों की तुलना में ज्यादा जटिल है, यह एक स्तरीकृत सामाजिक संरचना प्रदर्शित करती है जहां एक या अधिक सामाजिक समूह बिना किसी न्यूनतम मजदूरी या अन्य अधिकार आधारित श्रम मानकों के सिर्फ सामाजिक परंपराओं के सम्मान के लिए या उनके अनुरूप आचरण नहीं करने के मामले में प्रतिशोध के डर से, जिन्हें अक्सर शारीरिक हिंसा और बहिष्कार के रूप में ही व्यक्त नहीं किया जाता।

1.4 मानवों में बलात मजदूरी और तस्करी के उभरते स्वरूपों में, खासतौर पर बच्चों और समाज के अन्य वंचित वर्ग के मामले में, कानून प्रवर्तन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए एक व्यापक पुनर्वासतंत्र की आवश्यकता है।

2. योजना का विकास

2.1 'बंधुआ मजदूर*' शब्द राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची में तब आया जब 1975 में इसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया। बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 25 अक्टूबर, 1975 को अधिनियमित हुआ। बाद में इसे बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) से प्रतिस्थापित हुआ। यह अधिनियम उनके कर्ज के परिसमापन के साथ साथ बंधुआ मजदूर प्रणाली के उन्मूलन के लिए प्रावधान प्रदान करता है। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, अतः केंद्र सरकार मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्य में राज्य सरकारों की मदद करेगी। तदनुसार, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने मई 1978 में एक केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत की।

2.2 प्रारंभ में, योजना के तहत पुनर्वास सहायता के लिए प्रति बंधुआ मजदूर रु. 4,000/- की सीलिंग सीमा तक पुनर्वास सहायता का प्रावधान था जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा (50:50) आधार पर बराबरी से साझा किया जाना था। यह धनराशि दिनांक 1.2.1986 से रु. 6250/-; और 1.4.1995 से रु. 10,000/ तक बढ़ा दी गई थी। मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूर को उनके पुनर्वास तक उनके पैतृक स्थान / राज्य में प्रत्यावर्तित किए जाने के मामले में, इसमें से रु. 1000 / - मूल राज्य के लिए यात्रा व्यय आदि की पूर्ति के लिए निर्वाह भत्ते के रूप में दिए जाने थे। 1.4.1999 से, सिर्फ पुनर्वास सहायता धनराशि को रु. 20,000/- तक बढ़ा दिया गया था। योजना अंतिम बार मई 2000 में संशोधित की गई थी जब मौजूदा योजना में सर्वे घटक, चेतना बढ़ाने वाली गतिविधियां और मूल्यांकन अध्ययनों को अतिरिक्त मदों के रूप में शामिल किया गया था।

3. योजना के प्रदर्शन का विवरण और समीक्षा की आवश्यकता

3.1 वर्ष 1978 से 2014-15 तक, केंद्र सरकार ने पूरे देश में छुड़ाये गए 280213 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास सहायता के अपने हिस्से के रूप में रु. 81,826 करोड़ जारी किए हैं। राज्य सरकार ने भी बराबरी की धनराशि मिलायी है, अर्थात् 81.826 करोड़ और इस तरह कुल धनराशि करीब 164 करोड़ हो गई। इस तरह वार्षिक औसत खर्च 2.21 करोड़ के स्तर पर रहा है। राज्यों से पर्याप्त प्रस्तावों की कमी के कारण इस योजना में धन की वापसी एक नियमित विशेषता बन गई है और यह योजना मात्र 18 राज्यों में ही सीमित हो कर रह गई है।

3.2 मूल्यांकन अध्ययन और अन्य क्षेत्रीय स्तर के इनपुट्स यह संकेत देते हैं कि मौजूदा योजना में कुछ कमियां हैं जिनमें शामिल हैं; (i) नियमित निगरानी की कमी; (ii) कोर्ट प्रकरणों और दोष सिद्धि पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र नहीं; (iii) अपर्याप्त और अनाकर्षक पुनर्वास पैकेज; (iv) अनाथों सहित बच्चों, जैसे विशेष वर्ग के लाभार्थियों, विकलांगों, ट्रांस जेण्डर्स, बलात् भीख मंगवाने वाले संगठित लोगो और तस्करो, वेश्यावृत्ति व्यवसाय और यौन उत्पीड़कों से छुड़ाये बच्चों और स्त्रियों जैसे विशेष वर्गों की जरूरत पूरा करने के लिए योजना में लचीलेपन की कमी (v) कृषि भूमि, आवासीय इकाई, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा आदि के जैसी मौजूदा योजना में सूचीबद्ध अन्य प्रमुख लाभों का एक हिसाब रखने के लिए संस्थागत तंत्र की कमी (vi) जागरूकता शिविरों का कम प्रभावी होना। अतः, योजना को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए योजना को अद्यतन करना बहुत जरूरी था।

4. हितधारकों के साथ परामर्श और संसोधन

4.1 तदनुसार, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने उपरोक्त वर्णित सभी प्रचालन सीमाओं का एक गहन अध्ययन किया। संशोधित योजना का खाका तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन, गैर सरकारी संगठनों और बंधुआ मजदूरों के लिए कार्यरत कार्यकर्ताओं, योनेस्को और अन्य विद्वानों से परामर्श लिया। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ड्राफ्ट योजना को विविध-मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श के लिए परिचालित किया गया और आम जनता के विचार जानने के लिए इसकी एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई। ड्राफ्ट को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी परिचालित किया गया। सभी हितधारकों के विचारों को समायोजित करने के बाद ड्राफ्ट योजना को स्टेपिंग फाइनेंस कमिटी (एस एफ सी) के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखा गया। परिचालन द्वारा मंत्रालय ने आईएफडी सहित एस एफ सी के ज्ञापन की अनुशंसा की और इसे वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के मानकों ए अनुसार माननीय एल ई एम के द्वारा अनुमोदित किया गया।

4.2 संशोधित योजना में हितधारकों के सभी संबद्ध इनपुट्स और टिप्पणियों का समावेश किया गया है और मौजूदा योजना के सभी प्रचालन मुद्दों का एक समावेशी तरीके से समाधान भी किया गया है। इसके बाद, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना को लागू किए जाने के लिए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय तथा राज्य सरकारें नीचे लिखी मार्गदर्शिकाओं का पालन करेंगी :

5. संशोधित योजना एवं मार्गदर्शिका

(i) संशोधित योजना एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना होगी और यह 17 मई, 2016 से प्रभावी होगी। राज्य सरकारों को नगद पुनर्वास सहायता के प्रयोजन से किसी मिलान अंशदान का भुगतान नहीं करना होगा।

(ii) पुनर्वास पैकेज प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी रु. 1,00,000/- होगा। लाभार्थी को इसे नगद अनुदान के रूप में प्राप्त करने या फिर एक वार्षिक में योजना में जमा कराने के विकल्प रहेंगे। जिला प्रशासन लाभार्थी की नगद जरूरतों का आंकलन करेंगे और उनके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार विकल्प का चयन करेंगे और कथित वयस्क पुरुष की सहमति से धन को वार्षिक जमा योजना में जमा करेंगे।

(iii) ऐसे अनाथ बच्चों या संगठित समूहों तथा बलात भीख मंगवाने वालों से मुक्त कराये गए बच्चे, या बलात बाल श्रमिक या स्त्रियों के अन्य रूपों वाले विशेष वर्ग के लाभार्थियों के लिए पुनर्वास सहायता की धनराशि रु. 2 लाख होगी जिसमें से कम से कम रु. 1.25 लाख की धनराशि किसी वार्षिक योजना में लाभार्थी के नाम से जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि ईसीएस के जरिये लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

(iv) बंधुआ या बलात मजदूरों के मामले में, जिनमें अभाव या उपेक्षा से जुड़े ट्रांस-जेंडर्स या स्त्रियां या बच्चे शामिल हैं, जिन्हें यौन शोषण में लिप्त वेश्यालयों, मसाज पार्लर्स, प्लेसमेंट एजेंसियों से मुक्त करवाया गया है, या ऐसी स्थितियों में जहां जिला मजिस्ट्रेट ठीक समझें, पुनर्वाससहायता रु. 3 लाख होगी जिसमें से कम से कम रु. 2 लाख की धनराशि किसी वार्षिक योजना में लाभार्थी के नाम से जमा की जाएगी तथा रु. 1 लाख की धनराशि ईसीएस के जरिये लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

(v) उपरोक्त लाभ मौलिक योजना के नीचे वर्णित भूमि तथा आवास के तत्व आदि के अतिरिक्त होंगे :

- (1) आवासी साइट तथा कृषि भूमि का आवंटन
- (2) भू विकास
- (3) कम लागत की आवासीय इकाई का प्रावधान
- (4) पशु पालन, डेयरी, पोल्ट्री, सुअर पालन आदि
- (5) मजदूरी पर रोजगार, न्यूनतम मजदूरी आदि का प्रवर्तन
- (6) लघु वन उत्पादों का संग्रह तथा प्रसंस्करण
- (7) लक्षित लोक वितरण प्रणाली के तहत अनिवार्य खाद्य पदार्थों का वितरण; तथा
- (8) बच्चों के लिए शिक्षा

(vi) ऐसे मामलों में जहां सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध बंधुआ मजदूर, वस्तुतः बंधुआ मजदूरी की स्थिति में नहीं है परंतु उसे सामाजिक – आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो डीएम / एसडीएम उनके द्वारा लागू की गई किसी भी अन्य योजना के तहत राजकीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(vii) ऐसे मामलों में जहां डीएम / एसडीएम पाते हैं कि सुनवाई के दौरान मुक्त कराये गए व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए तत्काल सहायता आवश्यक है, तो उनकी भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, पीड़ित या साक्ष्य की सुरक्षा आदि के लिए प्रावधान सहित ऐसी कोई भी सहायता किसी भी अन्य विधि या योजना के तहत दी जा सकेगी जो इस योजना के तहत उनकी पात्रता के अतिरिक्त होगी।

(viii) राज्य सरकारें / केंद्र शासित प्रदेश भी निम्नलिखित गतिविधियों पर उनके प्रयास केंद्रित करेंगे :

- जिला प्रशासन सभी संबद्ध सरकारी विभागों के समन्वय में बाल बंधुआ मजदूरों की क्षमता निर्माण के लिए सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए उपाय करेंगे। तदनुसार, उनकी उचित शिक्षा, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श, कक्षा 12वीं की पढ़ाई तक घर पर रहने तथा कौशल विकास आदि की सुविधाओं को सुनिश्चित करना उनके पुनर्वास पैकेज का एक अभिन्न अंग होगा।
- मुक्त कराये गए स्त्री बंधुआ मजदूरों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें भी विवाह अअदि के लिए वित्त तथा अन्य सहायता प्रदान करेगी जो उप पैरा (a) में उल्लेखित क्षमता निर्माण उपायों के अतिरिक्त होगी।
- विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार विशेष सेवा प्रदान की जाएगी जो उप पैरा (a) तथा (b) में उल्लेखित क्षमता निर्माण उपायों के अतिरिक्त होगी।**
- वयस्क बंधुआ मजदूरों के लिए जो उक्त किसी श्रेणी के तहत नहीं आते हैं, रोजगार योग्य कौशल विकास प्रशिक्षण पुनर्वास का एक अनिवार्य अंग होगा।**

(ix) यहां वर्णित लाभ, उन नगद या गैर-नगद लाभों के अतिरिक्त होंगे जिनके लिए एक लाभार्थी इस योजना के तहत, या समय समय पर प्रवर्तित विधि या योजना के तहत पात्र होगा।

(x) बंधुआ मजदूरों के सर्वे में सहायता के लिए प्रदत्त धनराशि रु. 4.50 लाख होगी। यह धनराशि राज्य सरकारों के मानकों के अनुसार बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए प्रयासरत NGO को जारी करने में इस्तेमाल की जा सकती है। प्रत्येक पहचान परियोजना के संतोषजनक तरीके से पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा इस धनराशि का पुनर्भुगतान किया जाएगा।

सहायता के घटक नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे :

क्रम संख्या	सर्वे में शामिल लागत	अनुमत कोष
1	प्रश्नावली के मुद्रण की लागत (औसत 2000 प्रश्नावली @ रु. 5 प्रति)	रु. 10,000
2.	सूचनाएं संकलित करने के लिए शोधकर्ताओं/ फिल्ड स्टॉप को प्रशिक्षण की लागत (10 शोधकर्ताओं / फिल्ड स्टॉफ को भुगतान, प्रत्येक को 5 दिन के लिए @ रु. 500/- प्रति दिन (रु. 5000 x 5)	रु. 25,000
3.	फिल्ड से प्राथमिक डाटा संग्रह की लागत (10 शोधकर्ताओं / फिल्ड स्टॉफ को भुगतान, प्रत्येक को 2 माह के लिए @ रु. 500/- प्रति दिन (रु. 5000 x 60)	रु. 3,00,000
4.	प्राथमिक डाटा के संपादन, टेब्युलेशन तथा विश्लेषण की लागत (2 शोध सहायकों को भुगतान @ रु. 20,000 प्रति माह) (रु. 40,000 x 2 माह)	रु. 80,000
5.	डाटा / सूचनाओं के कम्प्यूटरीकरण की लागत	रु. 35,000
	कुल	रु. 4,50,000

(xi) जागरूकता लाने पर होने वाले व्यय का पुनर्भुगतान, निम्नलिखित घटकों के अनुसार, मामले दर मामले के आधार पर, अधिकतम रु. 10 लाख प्रति राज्य प्रति वर्ष की सीमा में किया जाएगा।

क्रम संख्या	लागत के घटक	अनुमत कोष
1.	प्रचार तथा विविध भारती, दूरदर्शन पर गीत तथा ड्रामा आदि के प्रसारण के माध्यम से प्रचार की लागत	रु. 71 लाख
2.	स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा अभियान	रु. 1 लाख
3.	यात्रा के व्यय सहित लोक कला सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रदर्शन की लागत	रु. 21 लाख
	कुल	रु. 101 लाख

(xii) मूल्यांकन अध्ययन के लिए रु. 1 लाख की मौजूदा मानक के अनुदान का निम्न अनुसार समायोजन किया जाएगा :

क्र.सं.	लागत के घटक	अनुमत कोष
1.	प्रश्नावलि भेजने की लागत सहित विभिन्न विभागों तथा बंधुआ मजदूरों के प्रभावी पुनर्वास हेतु ऋण तथा अनुदान देने वाली संस्थानों से जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली निर्माण तथा मुद्रण.	रु. 1,00,000
2.	2 शोध सहायकों सह कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा डाटा विश्लेषण(2 माह के लिए रु. 9,000/- प्रति माह)(18,000 x 2 माह)	रु. 36,000.00
3.	एक शोध अधिकारी द्वारा रिपोर्ट्स लेखन (2 माह के लिए रु. 18000/-) (18,000 x 2 माह)	रु. 36,000.00
4.	रिपोर्ट्स की प्रिंटिंग तथा बाइंडिंग (20 मौलिक प्रतियां)	रु. 10,000.00
5.	यात्रा व्यय सहित विविध व्यय	रु. 10,000.00
	कुल	रु. 1,00,000.00

(xiii) प्रत्येक राज्य के द्वारा कम से कम रु. 10 लाख के एक स्थायी कोष से राज्य स्तर पर एक बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष तैयार किया जाएगा जो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होकर नवीकरणीय होगा। यह कोष मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होगा। बंधुआ मजदूरों के अपराधियों से वसूली गई समूची अर्थदण्ड की रकम इस विशेष कोष में जमा की जा सकती है।

(xiv) जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय पर जिला प्रशासन द्वारा जिला बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष से मुक्त कराये गए व्यक्ति को न्यूनतम रु. 5,000/- की त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। जहां डीएम संतुष्ट हैं कि एक विशेष मुक्त कराये गए व्यक्ति को रु. 5,000/- से अधिक धनराशि की जरूरत है, वहां वे जो भी सही समझी जाए, ऐसी बड़ी धनराशि वितरित कर सकते/सकती हैं परंतु यह धनराशि इस योजना के तहत निर्धारित अधिकतम पात्रता तक सीमित होगी। ऐसी कोई भी अग्रिम धनराशि की कटौति केंद्र नगद सहायता धनराशि से की जानी चाहिए।

6. केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना

6.1 जिला मजिस्ट्रेट जांच सूची (संलग्नक I तथा II) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दावों को एनसीएलपी योजना 2016 की संशोधित मार्गदर्शिकाओं के अधीन गठित डिस्ट्रिक्ट एनसीएलपी (नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट) सोसाइटी को प्रस्तुत करेंगे।

6.2 ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव में (i) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई नगद और गैर नगद सहायता तथा पुनर्वास सुविधाओं का विवरण (संलग्नक-111); और (ii) अधिनियम के अधीन न्यायालयीन सुनवाई में अपराधी को दिये गए अर्थदण्ड/ कारावास का परिमाण।

6.3 ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की धारा 21 के तहत नियमानुसार सुनवाई पूरी नहीं हुई है, परंतु डीएस/एसडीएस प्रथम दृष्टया जांच और बंधक की सिद्ध होने के बारे में संतुष्ट हैं तो दोष सिद्ध होने तक नगद सहायता का मामला नहीं रोका जाएगा। हालांकि, प्रकरण में सहायता का अंतिम संवितरण बंधक साबित होने और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अन्य कानूनी परिणाम आने पर ही किया जाएगा।

6.4 दावों की प्राप्ति पर, जिला एनसीएलपी सोसाइटी सभी दस्तावेजों की छंटनी करेगी और अपने प्रस्तावों को समय समय पर, केंद्र सरकार, अर्थात् श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (MoLE) को प्रस्तुत करेगी। दावे प्रमुख शीर्ष 2230/2552 या जैसा भी मामला हो, के तहत प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. वित्त का जारी किया जाना

7.1 वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वित्त जारी करने के दिशानिर्देश अनुसार, संशोधित योजना के तहत MoLR द्वारा मान्य पुनर्भुगतान सीधे जिला NCLP (नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट) सोसाइटी को जारी किया जाएगा, और बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में व्ययन के लिए जिला प्रोजेक्ट सोसाइटी बदले में इस कोष को ब्याज सहित क्रियांवयन एजेंसी को जारी करेगी जिसमें जिला प्रशासन शामिल है।

7.2 BLR योजना के संबंध में जिला NCLP सोसाइटी का खाता NCLP योजना के लिए लागू ऑडिट मानकों के अधीन ही रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा NCLP योजना के लिए कोष जारी करने और लेखा प्रक्रियाओं के संबंध में किया जाने वाला कोई आगामी बदलाव BLR योजना पर भी समान रूप से लागू होगा।

7.3 जहां कहीं जिला NCLP सोसाइटी मौजूद नहीं है, वहां मंत्रालय NCLP योजना के अधीन इस योजना की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 30 कैलेंडर दिवसों के भीतर, एक नवीन NCLP सोसाइटी के गठन के बारे में अधिसूचना जारी करेगा।

8. क्रियांवयन तथा मॉनिटरिंग

8.1 NCLP योजना में निहित अनुसार, BLR योजना का क्रियांवयन तथा मॉनिटरिंग सेंट्रल मॉनिटरिंग समिति द्वारा परंतु BLR योजना के प्रयोजनों के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में JS/DG(LW) के साथ की जाएगी।

8.2 राज्य स्तर पर, NCLP योजना के लिए लागू क्रियांवयन मशीनरी ही संशोधित BLR योजना के क्रियांवयन के लिए भी जवाबदार होगी।

8.3 जिला और उप-प्रभागीय स्तर पर, अधिनियम और नियमों के अधीन NCLP योजना के लिए लागू क्रियांवयन मशीनरी ही सतर्कता समितियों की सहायता के साथ संशोधित BLR योजना के क्रियांवयन के लिए जवाबदार होगी।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना – 2016**बंधुआ मजदूरी के विवरण के लिए संशोधित प्रपत्र****I. पहचान के विवरण**

- i. नाम :
 - ii. पिता / माता का नाम :
 - iii. लिंग: पुरुष / स्त्री/अन्य
 - iv. उम्र
 - v. क्या विशेष / अन्य वर्ग के हैं* : हाँ / नहीं
 - vi. क्या शारीरिक विकलांग हैं : हाँ / नहीं
 - vii. यदि हाँ, तो विवरण दें :
 - viii. ग्राम :
 - ix. तालुक :
 - x. ब्लॉक
 - xi. जिला
 - xii. राज्य
 - xiii. आधार तथा UWIN (NSS) संख्या (यदि उपलब्ध हो) :
- * इस योजना के अनुच्छेद 5(iii) तथा 5(iv) में निर्दिष्ट अनुसार विशेष / अन्य वर्ग**

II. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र. संख्या	नाम	उत्तरदाता से संबंध	उम्र	सेक्स	शिक्षा	पेशा	टिप्पणी

III. पेशे का विवरण

- i. पेशे की प्रकृति
- ii. पेशे की अवधि
- iii. अन्य कहीं काम करने के लिए या मौजूदा नियोजक का काम छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं : हाँ / नहीं
- iv. यदि नहीं, तो कारण बतायें

IV. कार्य की स्थितियां

- i. नियोजक द्वारा सहमत मजदूरी पर
- ii. सामान के बदले मजदूरी का भुगतान (प्रति दिन/सप्ताह/माह/वर्ष)
- iii. मजदूरी का नगद भुगतान (प्रति दिन/सप्ताह/माह/वर्ष)
- iv. नियोजक से अन्य कोई गैर-नगद / सामान का लाभ
- v. अनुपस्थिति या काम में ढिलाई के लिए दण्ड के विवरण
- vi. कार्य का दैनिक समय

V. बंधक की प्रकृति (अग्रिम कर्ज के बदले में)

- i. प्राप्त की गई ऋण/ अग्रिम की धनराशि (नगद / सामान)
- ii. ब्याज की दर
- iii. उधार लेने का प्रयोजन
- iv. ऋण किसने लिया था और उत्तरदाता के साथ उसके संबंध
- v. पुनर्भुगतान का तरीका
- vi. ऋण लेने के लिए कितने वर्षों से काम कर रहे हैं
- vii. ब्याज सहित ऋण कब चुकता हो जाएगा
- viii. क्या परिवार का अन्य कोई सदस्य भी बंधक है : हाँ / नहीं
- ix. यदि हाँ तो कृपया उसका विवरण दीजिये :

नाम	उम्र	काम की अवधि	लिया गया ऋण	यदि कोई ब्याज दिया गया हो	काम के घण्टे	भुगतान की गई मजदूरी

VI. संपत्ति के विवरण (बंधुआ मजदूर की)

- i. मालकी की भूमि :
- ii. दुधारू पशु / बैल / भेड़ / बकरी/ पोल्ट्री :
- iii. क्या वह स्वयं के घर में रहता/ रहती है या नियोजक की भूमि पर :
- iv. घर खुद का या किराये का :
- v. शिक्षा का स्तर

VII. नियोजक के विवरण

- i. नाम तथा पता :
- ii. पिता/ माता का नाम :
- iii. पेशा
- iv. समान नियोजक के अधीन बंधुआ मजदूरों की संख्या
- v. आधार संख्या
- vi. सतर्कता समिति को सूचित की गई नियोजक द्वारा क्रूरता / पिटाई के मामले की कोई घटना(कृपया विवरण दें)

VII मुक्ति तथा पुनर्वास

- i. क्या उत्तरदाता BLS (उन्मूलन) अधिनियम के प्रावधानों से अवगत है :
- ii. क्या उत्तरदाता को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना की जानकारी है :
- iii. क्या उत्तरदाता को पूर्व में BLS (उन्मूलन) अधिनियम तथा नियमों के तहत मुक्त कराया गया था :
- iv. क्या उत्तरदाता ने BLS (उन्मूलन) अधिनियम तथा नियमों के तहत लाभ प्राप्त किया है :

सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रश्नावली में वर्णित तथ्य उत्तरदाता द्वारा प्रदत्त जानकारी के औसार सही हैं जो उन्हें

उनकी मातृ भाषा में पढ़ कर सुनाये और समझाये गए हैं।

दिनांक :

स्थान :

सर्वेयर के हस्ताक्षर
(नाम)

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना – 2016

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहायता जारी किए जाने के लिए

- i. पुनर्वास किए जाने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या :
(प्रत्येक पुनर्वासित बंधुआ मजदूर के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)
- ii. लाभार्थियों का वर्ग वार विवरण यथा सामान्य, अपिब, अजा और अजजा और लाभार्थियों का विशेष वर्ग वार विवरण यथा वयस्क पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेण्डर, विकलांग, अवयस्क लड़के, अवयस्क लड़कियां, विशेष वर्ग से मुक्त कराये गए व्यक्तियों का विवरण निम्न उल्लेखित तालिका में :

क्र. सं.	लिंग	विशेष वर्ग	संख्या
1	पुरुष	वयस्क	
		18 से कम के लड़के	
2	स्त्री	वयस्क	
		18 से कम की लड़की	
3	अनुच्छेद 5 (iii) तथा 5(iv) में निर्दिष्ट विशेष / अन्य वर्ग	वयस्क पुरुष	
		वयस्क स्त्री	
		18 से कम उम्र के बच्चे	
		विकलांग व्यक्ति	
		ट्रांसजेण्डर	
		कुल	

- * विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित चिकित्सालय के किसी चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुसार कम से कम चालीस प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त हो। प्रस्ताव के साथ चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।

- iii. आवश्यक केंद्रीय सहायता की कुल धनराशि

क्र.सं.	वर्ग	कुल संख्या	बंधुआ श्रम योजना के अनुसार निर्धारित सीमा (रुपयों में)	कुल धनराशि (रु. 000)
1	वयस्क पुरुष सदस्य		100	
2	वयस्क स्त्री/अवयस्क लड़के तथा लड़कियां		200	
3	अनुच्छेद 5 (iii) तथा 5(iv) में निर्दिष्ट विशेष / अन्य वर्ग		300	
	कुल			
	बंधुआ मजदूर पुनर्वास में उपलब्ध कुल धनराशि			

* बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष, बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने के लिए त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और इसमें न्यूनतम रु. 10.00 लाख का कोष रहेगा।

iv. जिले (जिलों) का नाम जहां इन बंधुआ मजदूरों (वर्ग वार) की पहचान की गई है :

क्र.सं.	जिले(जिलों) का नाम	राज्य का नाम	बंधुआ मजदूरों की संख्या		
			पहचान की गई	मुक्त कराये गए	पुनर्वासित किए गए
1					
2					
3					
कुल					

v. पहचान का माध्यम :

vi. क्या पुनर्वास योजना सक्षम प्राधिकारी के द्वारा तैयार और अनुमोदित की गई है ?
(योजना की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जानी चाहिए)

vii. राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रदत्त सहायता का विस्तृत विवरण (बंधुआ मजदूरों के विस्तृत नामों में से संक्षिप्त नाम दिये जाने हैं)

viii. क्या पूर्व वर्षों के लिए जारी केंद्रीय सहायता के लिए कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र विलंबित है : हाँ / नहीं यदि हां, तो विलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के विवरण दीजिए :

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम						
क्र.सं.	केंद्रीय सहायता के लिए प्राप्त घटक	जिले (जिलों) का नाम	वर्ष जिसमें वित्त जारी हुआ	केंद्रीय सहायता की धनराशि (रु.)	वह धनराशि जिसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है (रु.)	उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने के कारण
1						
2,3,4 और इस तरह						
कुल	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम					

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना – 2016

मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप बीएल प्रकरण संख्या (बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 12 के तहत जेएमएफसी/जेएमएससी का आदेश)

इस बॉक्स में मुक्त कराये
गए बंधुआ मजदूर का एक
रंगीन हस्ताक्षरित
फोटोग्राफ चिपकायें

1. नाम :
2. पिता / माता का नाम :
3. उम्र :
4. क्या कोई विशेष वर्ग के हैं * : हाँ / नहीं
5. यदि हाँ, तो इसका विवरण दीजिये :
6. क्या शारीरिक विकलांग हैं : हाँ / नहीं
7. यदि हाँ, तो इसका विवरण दीजिये :
8. पता जहां से बंधुआ मजदूर की पहचान हुई :
9. पुरुष / स्त्री / ट्रांस जेण्डर :
10. आधार / UWIN (NSS) संख्या (यदि उपलब्ध हो) :
11. जन धन खाता संख्या IFSC कोड के साथ
12. बंधुआ मजदूर का पता
13. कैदी रखने वाले / बंधक का नाम :
14. कैदी रखने वाले / बंधक का आधार कार्ड संख्या :
15. कैदी रखने वाले / बंधक का पता :
16. अपराध सिद्धि तथा मुक्ति आदेश की तारीख :
17. अध्याय VI के तहत दण्ड का परिमाण :
18. धारा 6 के अधीन समाप्त कर्ज की धनराशि :
19. धारा 7 के अधीन मुक्त करायी गई संपत्ति की सीमा तथा प्रकृति :

* इस योजना के अनुच्छेद 5 (iii) तथा 5(iv) में निर्दिष्ट अनुसार विशेष / अन्य वर्ग

"विकलांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित चिकित्सालय के किसी चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुसार कम से कम चालीस प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त हो।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ दिनांक को जारी किया गया _____

हस्ताक्षर
नाम
जिला मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट
जिला राज्य
मुहर

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना- 2016

बंधुआ मजदूरों का सर्वे संचालित करने के लिए केंद्रीय सहायता जारी किए जाने के लिए प्रस्ताव :

- i. जिले (जिलों) का नाम जहां सर्वे संचालित किया जाएगा :
- ii. पूर्णता की अवधिकए साथ सर्वे की अवधि :
- iii. क्या इस जिले (जिलों) में पूर्व में कोई सर्वे किया गया था : हाँ/ नहीं
(a) यदि हाँ तो सर्वे का वर्ष और माह बतायें :
(b) यदि नहीं, तो कारण बतायें
- iv. एजेंसी (एजेंसियों) के नाम जिन्होंने पूर्व में सर्वे किया था :
- v. एजेंसीका नाम जो सर्वे संचालित करेगी :
- vi. प्रति संवेदनशील जिले के अनुसार प्रस्तावित सर्वे की लागत का मदवार विवरण

क्र. सं.	मद	शामिल लागत
1	प्रश्नावली की छपाई की लागत (औसत 2000@5/-) 10,000	
2	सूचना के लिए शोध फिल्ड स्टॉफ को प्रशिक्षण देने की लागत (10 शोध फिल्ड स्टॉफ को भुगतान प्रत्येक को @ 5000/- प्रति दिन 5 दिन के लिए) (5000 x 5 दिन = 25,000)	
3	फिल्ड से प्राथमिक डाटा संग्रहित करने की लागत (10 शोधकर्ताओं / फिल्ड स्टॉफ को @ 500/- प्रति दिन से 2 माह के लिए भुगतान) (5000 x 60 दिन = 3,00,000)	
4	प्राथमिक डाटा का संपादन, सारणीकरण तथा विश्लेषण की लागत (2 शोध सहायकों को @20,000 से 2 माह के लिए) (40000 x 2 माह = 80,000)	
5	शोध फिल्ड स्टॉफ को प्रशिक्षण देने की लागत (35,000/-)	
	कुल	

- vii. क्या पूर्व के सर्वे, यदि कोई संचालित किए गए हों, केंद्रीय सहायता जारी होने के एक वर्ष के भीतर किए गए हैं : (हाँ / नहीं)
- viii. यदि हाँ, तो परिणामों के विवरण, सिफारिशें दी जानी हैं :
- ix. क्या पूर्व में किए गए सर्वे की रिपोर्ट्स श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई थी : (हाँ / नहीं)
(a) यदि हाँ, तो इसका विवरण दें
(b) यदि नहीं, तो इसके कारण दीजिये
- x. क्या पूर्व के वर्षों में जारी केंद्रीय सहायता के लिए कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र विलंबीत है : हाँ/नहीं
(a) यदि हाँ तो विलंबीत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के विवरण दीजिये

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना- 2016
जागरुकता लाने संबंधी गतिविधियों के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव :

- i. जागरुकता लाने के लिए की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों की सूची
- ii. उन एजेंसियों के नाम जो जागरुकता लाने संबंधी गतिविधियां संचालित करेंगी। क्या ये सरकारी है अथवा निजी।
- iii. जागरुकता लाने संबंधी गतिविधियों में शामिल लागत का मदवार विवरण

क्र. सं.	मद	शामिल लागत (रु. में)
1	प्रचार तथा विविध भारती, दूरदर्शन, गीत तथा ड्रामा डिविजन आदि के माध्यम से विविध दृश्य श्रुत्य इनपुट्स के प्रसारण की लागत(अधिकतम स्वीकार्य कोष रु. 1 लाख है)	
2	स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अभियान (अधिकतम स्वीकार्य कोष रु. 1 लाख है)	
3	यात्रा व्यय सहित लोक संस्कृति दलों द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शनों की लागत (अधिकतम स्वीकार्य कोष रु. 1 लाख है)	
	कुल	

- iv. क्या पूर्व वर्षों में केंद्रीय सहायता जारी होने के 6 माह के भीतर जागरुकता लाने संबंधी गतिविधियां संचालित की गई हैं :
(हाँ/ नहीं)
- v. क्या पूर्व में संचालित जागरुकता लाने संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट्स श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई है : (हाँ/ नहीं)
 (c) यदि हाँ, तो इसका विवरण दीजिये :
 (d) यदि नहीं, तो इसका कारण बताइये :
- vi. क्या पूर्व के वर्षों में जारी केंद्रीय सहायता के लिए कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र विलंबीत है : हाँ/नहीं
 (b) यदि हाँ तो विलंबीत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के विवरण दीजिये

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना- 2016
मूल्यांकन अध्ययन के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव

- i. मूल्यांकन अध्ययन के लिए की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों की सूची
- ii. उन एजेंसियों के नाम जो मूल्यांकन अध्ययन का कार्य करेंगी। क्या यह सरकारी है अथवा निजी :
- iii. मूल्यांकन अध्ययन में शामिल लागत का मदवार विवरण :

क्र.सं.	लागत के घटक	शामिल लागत
1	प्रश्नावली भेजने की लागत सहित विभिन्न विभागों तथा बंधुआ मजदूरों के प्रभावी पुनर्वास हेतु ऋण तथा अनुदान देने वाली संस्थानों से जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली निर्माण तथा मुद्रण	
2	2 शोध सहायकों सह कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा डाटा विश्लेषण(2 माह के लिए रु. 9,000/- प्रति माह)(18,000 x 2 माह = रु. 36,000/-)	
3	एक शोध अधिकारी द्वारा रिपोर्ट्स लेखन (2 माह के लिए रु. 18000/-) (18,000 x 2 माह=रु. 36,000/-)	
4	रिपोर्ट्स की प्रिंटिंग तथा बाइंडिंग (20 मौलिक प्रतियां) (रु. 10,000/-)	
5	यात्रा व्यय सहित विविध व्यय (रु., 10,000/-)	
	कुल	

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना- 2016

उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रपत्र

GFR का प्रपत्र 19-ए

क्र. सं.	पत्र लं. तथा दिनांक (प्रति संलग्न करें)	धनराशि
1.		
2,3,...		
	कुल	

प्रमाणित किया जाता है कि श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के पत्र संख्या दिनांक के तहत वर्ष..... के दौरान के पक्ष में स्वीकृत रु..... के अनुदान में से, रु..... की धनराशि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के प्रयोजन से उपयोग की गई है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी और रु..... की शेष धनराशि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त है और इसे पत्र संख्या दिनांक द्वारा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को जमा करा दिया है/ को अगले वर्ष के दौरान भुगतान योग्य अनुदान के विरुद्ध समायोजित कर लिया जाएगा ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बारे में संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों के अधीन अनुदान स्वीकृत किया गया था, वे विधिवत पूर्ण की गई हैं / पूर्ण की जा रही है और यह कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांचें की हैं कि धन का वास्तविक उसी प्रयोजन से व्यय हुआ है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था :

की गई जांच के प्रकार *

- 1.
- 2.

जिला एनसीएलपी सोसाइटी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर -----

पदनाम -----

राज्य/ केंद्र शासित राज्य का प्रशासन -----

दिनांक -----

मुहर -----

संलग्नक - III

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना- 2016

मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों को राज्य/जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त सहायता का विस्तृत सार											
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के स्वीकृति पत्र संख्या दिनांक द्वारा स्वीकृत धनराशि											
क्र. सं.	मुक्त कराये बंधुआ मजदूरों के नाम	मुक्ति प्रमाण पत्रकेअनुसार बीएल प्रकरण की संख्याऔर तारीख	दोषी /अपराधी को दिये गए दण्ड का परिमाण	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ (सामान) और इसका मौद्रिक मूल्य और शैक्षणिक सहायता के मामलेमें नगद घटक							
				आवास/साइट	कृषि भूमि	भूमि विकास	सभी /डेयरी/पोल्ट्री आदि	लघु वन उत्पाद	राशन	शैक्षणिक सहायता	
1											
2											
3											
कुल											

जिला एनसीएलपी सोसाइटी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर -----

पदनाम -----

राज्य/ केंद्र शासित राज्य का प्रशासन -----

दिनांक -----

मुहर -----